राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

Reportable

कानाराम : बनाम : श्रीमती मघी.

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या: **869/2004**

अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : 23 नवम्बर, 2005

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

याची के अधिवक्ता श्री बी.एस.शेखावत,
अयाची के अधिवक्ता श्री बी.के.व्यास, उपस्थित।

यह याचिका धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याची कानाराम द्वारा श्रीमती मघी के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, लूनकरनसर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.2.03 एवं अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.04 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। याचिका पेश होने पर अयाची को नोटिस जारी किए गए एवं अधीनस्थ न्यायालयों के रेकर्ड तलब किए गए।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि धारा 125 दण्ड प्रक्रिया

संहिता का एक प्रार्थना-पत्र श्रीमती मघी द्वारा याची के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, लूनकरनसर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया कि प्रार्थीया की शादी करीब 30 साल पहले अप्रार्थी कानाराम के साथ हुई थी, जिससे उसके बालिग बच्चे भी हैं। उसे तंग परेशान किया व दूसरी शादी मैंना के साथ कर ली। प्रार्थीया के पास कोई रोजगार का साधन नहीं है। सारी जमीन अप्रार्थी के पास है। उसने प्रार्थीया का भरण-पोषण करने से इनकार कर दिया है। प्रार्थीया वृद्ध व बीमार है, लड़कियां शादीशुदा हैं, लड़कों के पास भी आय का कोई जरिया नहीं है। अप्रार्थी के पास काफी सोना चान्दी है, पांच बीघा नहरी व अस्सी बीघा बारानी जमीन है। कुल मिलाकर अप्रार्थी को दस हजार रूपये प्रति माह आय हो जाती है। पांच सौ रूपए प्रतिमाह के हिसाब से भरण-पोषण की मांग की गई। इस प्रार्थना-पत्र का जवाब अप्रार्थी-याची की ओर से प्रस्तुत हुआ और शादी होना स्वीकार किया। मैना के साथ भी शादी होना स्वीकार किया, बाकी तथ्य गलत होना बताया। विशेष कथन में जाहिर किया कि प्रार्थीया के साथ शादी अवश्य हुई, मगर अप्रार्थी के संसर्ग से बच्चे उत्पन्न नहीं हुए। दोनों के बीच 35 साल पहले शादी हुई थी। प्रार्थीया शुरू से ही गैरचलन थी। अप्रार्थी के साथ पत्नी धर्म का पालन नहीं करती थी। उसे समझाया गया, मगर बाज नहीं आई। 30 साल पहले अप्रार्थी को सोए हुए को चारपाई से बांधकर अपने पीहर चली गई, जिसे रास्ते चलते खेताराम ने खोला। उसके बाद पंचायती भी की, मगर उसने उसके साथ बसने से इनकार कर दिया। उसके बाद पारस्परिक सहमति से दोनों अलग-अलग रहने को सहमत हुए, जो अभी तक बदस्तूर जारी है। जो भी सामाना था वह अपने साथ ले गई और पारस्परिक

सहमति से ही वह 30 वर्ष से अलग रह रही है। कभी उसे तंग परेशान नहीं किया गया। पारस्परिक सहमति से दोनों अलग रह रहे हैं। पारस्परिक सहमति से अलग होने के दस वर्ष बाद 1979 में मैना के साथ उसने नाता किया और घर बसाया। प्रार्थीया व अप्रार्थी एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे से लेनादेना नहीं है और कोई भी खर्चा मांगने की अधिकरणी नहीं है। प्रार्थी के पिता के नाम जमीन है, जानवर भी हैं, मकान भी है। प्रार्थीया के हिस्से में लगभग बीस बीघा जमीन आती है। प्रार्थीया के पास जगासर में भी पचास बीघा जमीन है व पांच हजार रूपए महिने की आय हो जाती है। काकासर गांव में बीरत भी है। प्रार्थीया के पास आय के पूर्ण स्रोत मौजूद है। प्रार्थीया के लड़के भी कमाते हैं। अप्रार्थी के पास कोई जमीन नहीं है, न कोई आय का साधन है, वह गरीब व्यक्ति है। गांव वालों की सेवा करके, मांग कर खाता है और वृद्ध होने से बीमार भी रहता है। प्रार्थीया आज से तीस वर्ष पहले अपना जो भी सामान था, लेकिन चली गई। प्रार्थना-पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की गई।

उपरोक्त तथ्यों के बाद प्रार्थीया मघी की साक्ष्य ली गई जिसमें ए.डब्ल्यू. 1 मघी के बयान कराए गए और एन.ए.डब्ल्यू. 1 कानाराम के बयान तरदीद में हुए। दोनों पक्षों की साक्ष्य पर विचार करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया कि प्रार्थीया के साथ अप्रार्थी कानाराम की शादी हुई थी और उसने दूसरा नाता मैना से कर लिया। इस प्रकार कानाराम से अलग रहने का युक्तियुक्त कारण भी मौजूद है। प्रार्थीया के पास भरण-पोषण के पर्याप्त साधनर नहीं पाए गए। कानाराम ने भरण-पोषण के दायित्व से उन्मोचित होने से अपनी जमीन दूसरी संतानों को स्थानान्तरित कर दी है,

जीविकोपार्जन की क्षमता भी उसमें है। इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पांच सौ रूपए प्रतिमाह के हिसाब से भरण-पोषण देने का आदेश दिया गया।

उक्त आदेश की निगरानी सेशन न्यायालय में की गई, जो अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, बीकानेर के न्यायालय में अंतरित हुई। योग्य अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, बीकानेर द्वारा यह निगरानी भी खारिज की गई, जिसके विरूद्ध यह याचिका प्रस्तुत हुई है।

याचिका में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक याची की मुख्य बहस यह रही कि इस प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करके निर्णय दिया गया है, जो उचित नहीं था। अप्रार्थी-याची को साक्ष्य का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए था। याची एक गरीब व्यक्ति है तथा बी.पी.एल. चयनित व्यक्ति है। पांच सौ रूप्ए प्रतिमाह गुजारा भत्ता देना उसके लिए सम्भव भी नहीं था। न्यायालय की प्रक्रिया को निगरानीदार ने सही ढंग से नहीं समझा इसलिए पैरवी सही तरीके से नहीं हुई, अत: पत्रावली पुन: सारे सबूतों के लिए प्रतिप्रेषित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में निगरानी न्यायालय में भी यह प्रश्न उठाया गया था। निगरानी न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर सही रूप से विचार नहीं किया गया, मात्र निगरानीकार के बयान को अविश्वसनीय मानते हुए कि वह अपने बयानो में स्थिर नहीं रह रहा है, यह निगरानी खारिज कर दी, जो उचित नहीं था। उन्होंने मेरा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर भी आकर्षित किया। इस प्रकार उनका तर्क रहा कि प्रार्थीया के बयान

20.11.01 को लिए गए थे मगर उस समय भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं था और बिना उसकी उपस्थिति के प्रार्थीया के बयान लिए गए, जो कतई उचित नहीं था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 1999 (2) डब्ल्यू एल एन 460 (नन्द कुमार बनाम श्रीमती गायत्री) एवं 1975 क्रि.लॉ.ज. 656 (हेतराम बनाम राम कुंवारी) पर आए विनिश्चय पेश किए। इसके अलावा उनका यह भी तर्क रहा कि यह एक तरफा रूप से आदेश पारित किया गया है, पूर्व में 25.11.02 को एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र पेश करने को समय चाहा था, तत्पश्चात् 17.2.03 को अभिभाषक द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया गया, तत्पश्चात् एक तरफा रूप पर बहस सुनकर इस प्रकरण का निर्णय कर दिया गया, जो कतई उचित नहीं था। अप्रार्थी के बयान 14.3.02 को लिए गए थे, और साक्ष्य के लिए समय चाहा गया था। अप्रार्थी की साक्ष्य भी समाप्त कर दी गई और बहस के लिए पत्रावली चल रही थी। बिना प्रार्थी को कोई नोटिस दिए एक तरफा तौर पर निर्णय कर दिया गया है जो कतई उचित नहीं था। निगरानी न्यायालय द्वारा भी इस तथ्य को सही रूप से नहीं देखा है, अत: इस प्रकरण को याची को साक्ष्य का अवसर देकर पुन: निर्णय करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जावे और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपास्त किए जावें।

इसके अलावा मेरिट पर भी योग्य अभिभाषक याची का तर्क रहा कि अप्रार्थी-याची अनपढ़ व्यक्ति है और उसके बयान सही रूप से नहीं समझे गए हैं। प्रार्थीया-अयाची तीस साल से अपनी राजीखुशी से अलग रह रही थी, उसके पास पूर्ण स्रोत आय के हैं और अप्रार्थी-याची के पास कोई भी आय के स्रोत नहीं है और वह वृद्ध व्यक्ति है। इन परिस्थितियों पर भी विचार नहीं किया गया। प्रार्थीया-याची के बालिग लड़के हैं और उसके नाम जमीन भी है, इन तथ्यों पर विचार नहीं करके याची के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह कतई अनुचित

है, अत: उसे अपास्त किया जाएं।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक अयाची ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अभिभाषक की उपस्थिति में बयान लिए गए हैं और याची का केस प्रीज्यूडिस नहीं हुआ है। साक्ष्य के लिए भी काफी अवसर दिए गए थे। 14.3.02 को कानाराम के बयान हुए हैं और उसके बाद 4.9.02 को उसकी साक्ष्य बन्द की गई और बहस के लिए पत्रावली रखी गई है। 25.11.02 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। अभिभाषक ने एक तरफा कार्यवाही अपास्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र पेश करने को समय चाहा और बाद में "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" कर दिया गया, इस पर प्रार्थीया-अयाची को सुनकर निर्णय सुनाया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता नहीं बरती गई। गुणावगुण पर भी उनका तर्क रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य पर गहनता से विचार किया है और अप्रार्थी के बयान पूर्ण रूप से अविश्वसनीय माने गए हैं। दूसरी शादी मैना से करना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जो भरण-पोषण की राशि दिलाई गई है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। गुणावगुण पर जाने के पूर्व, जो अव्वल में योग्य अभिभाषक याची का तर्क रहा कि प्रार्थीया-अयाची मघी के बयान इस प्रकरण में 20.11.01 को लिए गए थे और उसकी साक्ष्य बन्द की गई जिसमें मात्र अभिभाषकगण की उपस्थिति बताई गई है। अप्रार्थी कानाराम उपस्थित नहीं था और उसकी अनुपस्थिति में जो बयान लिए गए हैं, उसकी अनुपस्थिति में बयान लेने का कोई भी कारण मजिस्ट्रेट ने धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं लिखा न उसकी हाजरी माफी का कोई प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुआ न उसकी हाजरी माफी की गई। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक याची ने इस न्यायालय का जो विनिश्चय नन्दकुमार बनाम गायत्री (उपरोक्त) प्रस्तुत किया है,

उसके पैरा 11 व 12 में निम्न सिद्धान्त दिए गए हैं :

> "11. In my humble opinion the expression "shall" used under sub-sec.(2) of Sec. 126 Cr.P.C. is to be read with reference to proviso of sub-sec. (3) of Sec. 125 Cr.P.C. which envisages that if such person offers to maintain his wife on condition of her living with him and she refuses to live with him, such Magistrate may consider any grounds of refusal stated by her, and may make an order under this section notwithstanding such offer, if he is satisfied that there is just ground for so doing. At this stage it is to be seen that **if the expression "shall" used under sub-sec. (2) of Sec. 126 Cr.P.C. is read with an irresistible conclusion that the legislature has insisted to record the evidence of wife in presence of her husband in a proceeding under Sec. 125 so that the husband may be provided with an indirect opportunity to patch up the differences with his wife and to effect a change of heart and restorea life of conjugal happiness by offering to maintain his wife. Not only this, it is also possible to envisage a situation where by the intervention of relations of either parties in such proceedings, the husband and wife may by mutual consent agree to live separately.**
> 12. This, I am of the view that the use of the word "shall" used under sub-sec.(2) of Sec. 126 Cr.P.C. imposes a mandatory duty upon the Court to record the evidence in the presence of the husband and in this view of the matter it is directed that the learned Chief Judicial Magistrate, Jalore shall now recall both the witnesses i.e. Smt. Gayatri and her father, for cross examination in presence of the petitioner husband Nan Kumar on payment of Rs.100/- as costs so that an indirect opportunity of change of heart of the petitioner with his wife may not be missed and it may also help in restoring a life of conjugal happiness."

मेरे द्वारा भी धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अवलोकन किया गया। धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है :

> "126 (2) All evidence in such proceedings shall be

> taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is purposed to be made, or, when his personal attendance is dispensed with, in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summons-cases;
>
> Provided that if the Magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is wilfully avoiding service, or wilfully neglecting to attend the Court, the Magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within three months from the date thereof subject to such terms including terms as to payment of costs to the opposite party as the Magistrate may think just and proper."

धारा 126 (2) के प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में जो भी साक्ष्य ली जाएगी वह उस व्यक्ति की उपस्थिति में ली जाएगी जिसके विरूद्ध कोई भी गुजारा भत्ता का आदेश पारित किया जाना हो और यदि उसकी हाजरी माफी दी जाती है तो हाजरी माफी दी जाकर अभिभाषक की उपस्थिति में साक्ष्य ली जाएगी। इसके परन्तुक में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है तो न्यायालय की उसकी अनुपस्थिति में भी कार्यवाही कर सकेगी। इस प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से कहीं यह नहीं पाया जाता कि अप्रार्थी की हाजरी माफी का कोई भी प्रार्थना-पत्र कभी प्रस्तुत किया गया हो। दोनों पक्षों की अभिभाषक की उपस्थिति मात्र लिखी जा रही है और मात्र अभिभाषक की उपस्थिति में ही बयान 20.11.01 को लिए गए। इस प्रकार कोई हाजरी माफी अप्रार्थी की नहीं दी गई थी और अभिभाषक की उपस्थिति में बयान लिखे गए। स्वयं अप्रार्थी-याची कानाराम के बयान लिए उस रोज उपस्थित हो, आदेशिका दिनांक 20.11.01 के अवलोकन से नहीं पाया जाता। इस प्रकार अव्वल में यह आदेशात्मक प्रावधान, जो धारा 126 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, इसकी पालना योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं की गई

है। इसी प्रकार इस न्यायालय के निर्णय के समान ही 1975 क्रि.लॉ.ज. 656 (हेतराम बनाम राम कुंवारी) वाले प्रकरण में भी स्पष्ट रूप से सिद्धान्त दिया गया है कि अप्रार्थी (पति) की मौजूदगी में ही साक्ष्य धारा 488 (6) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत ली जानी चाहिए थी और जो प्रावधान आदेशात्मक है। यदि उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य ली गई हो तो तमाम कार्यवाही दूषित होती है।

धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जो "Shall" शब्द का प्रयोग किया गया है, इस सम्बन्ध में मैं ए आई आर 1962 सुप्रीम कोर्ट 113 (भीकराज जयपुरिया बनाम भारत संघ) में दिए गए सिद्धान्त को उद्धृत करना चाहूंगा, जो निम्न प्रकार है :

> "Where a statute requires that thing shall be done in the prescribed manner or form but does not set out the consequences of non-compliance, the question whether the provision was mandatory or directory has to be adjudged in the light of the intention of the legislature as disclosed by the object, purpose and scope of the statute."

उपरोक्त सिद्धान्तों को देखते हुए धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता व उसके परन्तुक का अवलोकन करें, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी (पति), जिसके विरूद्ध गुजारा भत्ता की डिक्री दी जानी है उसकी उपस्थिति में ही गवाहों के बयान लिए जाने चाहिए। इसमें विधायिका की मंशा रही है कि यदि पति-पत्नी की मौजूदगी साक्ष्य के दौरान आवश्यक रखी गई है, हो सकता है दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो जावे और अपने झगड़े सुलझा लेवे। दोनों राजीखुशी एक साथ रहने को तैयार हो सकते हैं या राजीखुशी अलग रहने को भी तैयार हो सकते हैं और इसी मंशा से, ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थी की उपस्थिति साक्ष्य के समय आवश्यक रखी गई। इस प्रकार अप्रार्थी की उपस्थिति में बयान लिखे जाना आवश्यक था।

योग्य अभिभाषक अयाची की इसके जवाब में जो बहस रही कि किसी प्रकार का कोई प्रीज्युडिस याची को होना नहीं बताया गया है और न ही न्याय

का हनन हुआ है। इस प्रकार जब बयान अनुपस्थिति में लिए जा चुके हैं और कोई एतराज नहीं किया गया है, अत: आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैं योग्य अभिभाषक अयाची के इन तर्को से सहमत नहीं हूं। कानून की मंशा के अनुसार इस प्रकरण में अन्वीक्षा नहीं की गई, न अप्रार्थी-याची को कोई हाजरी माफी दी गई, उसकी अनुपस्थिति में प्रार्थीया-अयाची के बयान कलमबन्द कर लिए गए। अभियुक्त जानबूझ कर गैर हाजिर रहा हो, इसकी भी कोई फाईडिंग नहीं दी गई। इस प्रकार अव्वल में योग्य अभिभाषक याची के तर्को से मैं सहमति रखता हूं।

इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि इस प्रकरण में याची के अनुपस्थित आने पर एक तरफा कार्यवाही की गई थी, मगर एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र पेश करने के लिए अभिभाषक ने समय चाहा। समय लेने के बाद दिनांक 17.9.02 को "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" कर दिया गया। "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" करने के बाद पत्रावली बहस में लगाकर निर्णय कर दिया गया, जो भी कतई उचित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय को अप्रार्थी-याची को नोटिस दिया जाकर उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो भी इस प्रकरण में नहीं किया गया है। यह सही है कि अप्रार्थी को साक्ष्य पेश करने को काफी अवसर दिया गया था और उसकी साक्ष्य भी समाप्त करके पत्रावली बहस में लगादी गई और 25.11.02 को प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुए, अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए और बहस अन्तिम में लगा दी गई। मगर उसके बाद दिनांक 5.2.03 को अभिभाषक अप्रार्थी उपस्थित आए और एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने के लिए समय चाहा, जो समय दिया गया। मगर उनके द्वारा "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" करने से पत्रावली में बहस सुनकर निर्णय कर दिया गया। अभिभाषक ने यदि "नो

इंस्ट्रक्शन प्लीड" किया है तो क्या उन्होंने अप्रार्थी-याची को अपनी तरफ से नोटिस दिया, यह भी रेकर्ड पर नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी को बिना सुने ही एक तरफा रूप से निर्णय दिया गया था, जो कतई उचित नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है, इस बिन्दु पर निगरानी न्यायालय द्वारा कतई सही रूप से विचार नहीं किया गया। निगरानी न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था, मगर निगरानी न्यायालय द्वारा मात्र अप्रार्थी के बयान पढ़ने के बाद और उसके बयान स्थिर नहीं है और बयान बदलता रहता है, साक्ष्य पर मात्र विचार किया है और जो बहस निगरानी न्यायालय के समक्ष उठाई गई थी, उस पर कतई विचार नहीं किया और निगरानी खारिज की गई,जो कतई उचित नहीं था।

दोनों पक्षों द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर जो बहस की गई है, उस पर मैं अभी विचार करना उचित नहीं समझता। एक तरफा निर्णय, जो योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया है, धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की पालना नहीं करके प्रार्थीया के बयान अप्रार्थी की अनुपस्थिति में लिखे गए, वे प्रकरण की जड़ों तक जाते हैं और साथ ही बिना अप्रार्थी को सुने अभिभाषक के "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" कर देने से बिना अप्रार्थी को किसी प्रकार का न्यायालय का नोटिस दिए जो एक तरफा निर्णय किया है, वह भी प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अप्रार्थी की अनुपस्थिति में एक तरफा जो निर्णय किया गया वह अपास्त किए जाने योग्य हैं। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, ऐसा प्रतीत होता है, आदेश पारित करके न्यायिक प्रक्रिया का हनन किया है।

प्रकरण के तमाम तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी-याची कानाराम की अनुपस्थिति में प्रार्थीया मघी के बयान लिखे गए थे। अप्रार्थी-याची कानाराम स्वयं गैरहाजिर था। चूंकि अप्रार्थी को पुन: साक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है और इसी प्रकार उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही भी अमल में लाई

गई थी और अभिभाषक द्वारा "नो इंस्ट्रक्शन प्लीड" किया गया था, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी-याची कानाराम प्रार्थीया-अयाची मघी को इस सम्बन्ध में एक हजार रूपए कोस्ट अदा करेगा और उपरोक्त कोस्ट अदा करने पर ही प्रार्थीया-अयाची की साक्ष्य अप्रार्थी-याची की उपस्थिति में कलमबन्द की जाएगी और अप्रार्थी-याची की भी साक्ष्य कलमबन्द की जाएगी और अप्रार्थी-याची को सुनवाई का अवसर देकर अधीनस्थ न्यायालय पुन: गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करेगा।

फलस्वरूप, यह विविध याचिका स्वीकार की जाती है एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, लूनकरनसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.2.03 एवं अपर सेशन न्यायाधीश सं.2, बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.04 अपास्त किए जाते हैं और यह प्रकरण पुन: योग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, लूनकरनसर को इस आदेश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी-याची द्वारा प्रार्थीया मघी को एक हजार रूपए कोस्ट अदा करे तो धारा 126(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना करके प्रार्थीया-अयाची की साक्ष्य अप्रार्थी-याची की उपस्थिति में पुन: कलमबन्द करे एवं उसके बाद अप्रार्थी-याची को पुन: साक्ष्य प्रस्तुत करने का और सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण को निस्तारित करे। दोनों पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.05 को उपस्थित रहें।

(न्‍ यायाधिपति कृष्‍ णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा